



ग्राहक
सेवा में
उत्कृष्टता
के लिए
देशव्यापी
दूरगामी
पहल

निवासी व्यक्ति का खाता खोलने का फार्म (भाग-१)

ग्राहक जानकारी पत्रक (सीआईएफ सृजन/संशोधन)

(संयुक्त खाते के मामले में (भाग-१) (सीआईएफ शीट) प्रत्येक ग्राहक के लिए)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

दिनांक

D D M M Y Y Y Y

शाखा का नाम

शाखा कोड

तारांकित (*) को भरना अनिवार्य है। कृपया बड़े अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग करें (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

ग्राहक आई डी:

आवेदन का प्रकार:

☐ नया

☐ अद्यतन करना

खाता क्र.

सीकेवाईसी क्र.:

(सीकेवाईसी अपडेट अनुरोध अनिवार्य है)

ग्राहक का प्रकार

☐ सामान्य

☐ पेंशनर

☐ वरिष्ठ नागरिक

☐ वेतनयोगी

☐ अवयस्क

☐ स्टाफ

☐ पूर्व स्टाफ

भ.नि.क्र.

खाते का प्रकार:

☐ सामान्य

☐ लघु (निम्न जोखिम वाले ग्राहकों के लिए)

0१

निजी विवरण

वर्तमान ग्राहक आईडी (यदि लागू हो)

नाम*

(जैसा आईडी प्रूफ में है)

विवाह पूर्व उपनाम :

उपाधि

जन्मतिथि*:

लिंग*

☐ पुरुष

☐ महिला

ट्रांस जेंडर

वैवाहिक स्थिति*

☐ विवाहित

☐ अविवाहित

☐ अन्य

माता/पिता/पति/पत्नी का नाम

(कृपया टिक करें)

उपाधि

उपाधि

(यदि फैन नहीं दिया गया है तो पिता का नाम अनिवार्य है)

आश्रितों की संख्या

निरक्षर

☐ हाँ

☐ नहीं

यदि हाँ : पहचान चिह्न :

संरक्षक का नाम

(अवयस्क के मामले में*)

उपाधि

संरक्षक के साथ संबंध

राष्ट्रियता*:

☐ भारतीय

☐ अन्य

देश का नाम:

व्यवसाय प्रकार*:

☐ एस -सेवा

☐ निजी क्षेत्र

☐ सार्वजनिक क्षेत्र

☐ सरकारी क्षेत्र

☐ ओ- अन्य

☐ पेशेवर

☐ स्व-नियोजित

☐ सेवानिवृत्त

☐ गृहस्वामीनी

☐ छात्र

☐ बी-व्यवसाय

☐ खेती

☐ एक्स-वर्गीकृत नहीं, कृपया निर्दिष्ट करें.

मासिक आय*: रु.

निवल मालियत (लगभग मूल्य) रु.

वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) रु.

धर्म:

☐ हिंदू

☐ मुस्लिम

☐ ईसाई

☐ सिख

☐ अन्य

श्रेणी:

☐ सामान्य

☐ अ.पि.व.

☐ अ.जा.

☐ अ.ज.जा.

☐ अन्य (निर्दिष्ट करें)

दिव्यांग

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ यदि हाँ

☐ दृष्टि बाधित

☐ भिन्न क्षमता वाले

शैक्षणिक योग्यता:

☐ एसएससी से कम

☐ एसएससी

☐ एचएससी

☐ स्नातक

☐ स्नातकोत्तर

☐ व्यवसायिक

☐ अन्य

संगठन का नाम:

पदनाम/व्यवसाय: व्यवसाय की प्रकृति:

प्रयोज्य बाक्स पर टिक करें

☐ राजनैतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति

☐ राजनैतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति के साथ संबंध

☐ कोई नहीं

राजनैतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं यथा सरकार/राज्य प्रमुख, वरिष्ठ राजनैतिक/वरिष्ठ सरकारी / न्यायिक / सुरक्षा अधिकारी / राज्य स्वामित्व कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनैतिक पक्ष पदाधिकारी आदि

आईएसओ कोड ३१६६ निवास के अधिकार क्षेत्र का देश कोड*:

इंडिया के लिए कोड IN है.

जन्म स्थान/ शहर*:

आईएसओ ३१६६ जन्म वाले देश का कोड*:

नागरिकता

केवल भारत में कर निवास का देश और भारत के बाहर किसी अन्य देश या राज्य क्षेत्र

☐ हाँ

☐ नहीं (यदि नहीं तो कृपया FATCA विवरण फार्म भरें)

0२

संपर्क विवरण (सभी पत्रादी प्रदत्त मोबाइल नं./ईमेल-आईडी पर भेजे जाएंगे)

मोबाइल नं.

ईमेल आईडी

वैकल्पिक मोबाइल नं.

एसटीडी टेलीफोन(नं.)

टेलीफोन आवाज

03 पहचान / पते का प्रमाण (कृपया उपयुक्त बॉक्स (किसी एक आईडी प्रकार पर टिक करें) और विवरण दें*)

☐ क - पासपोर्ट

☐ ख- मतदाता पहचान कार्ड

☐ ग - ड्राइविंग लाइसेंस

☐ घ - यूआईडी (आधार)

☐ कोई अन्य

☐ ङ - नरेगा जॉब कार्ड

☐ च - राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम व पता दिया गया हो

एस- सरलीकृत उपाय खाता दस्तावेज(प्रकार कोड)

दस्तावेज कोड	विवरण
01	केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / विनियामक अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें आवेदक की फोटो हो
02	किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें उस व्यक्ति की फोटो विधिवत सत्यापित की गई हो

दस्तावेज क्र. / पहचान क्र.

जारी करने की तिथि*

समाप्ति की तिथि* (यदि लागू हो)

04 पता विवरण : ☐ वर्तमान ☐ स्थायी ☐ विदेश मे

पते का प्रकार

☐ निवास

☐ व्यवसाय

☐ पंजीकृत कार्यालय

☐ अनिर्दिष्ट

पता*

शहर/गाँव*

जिला*

राज्य*

पिन*

आयएसओ ३१६६* देश कुट

05 पता विवरण : ☐ पत्राचार ☐ स्थानीय ☐ वर्तमान/स्थायी पते के समान

पते का प्रकार

☐ निवास

☐ व्यवसाय

☐ पंजीकृत कार्यालय

☐ अनिर्दिष्ट

पता*

शहर/गाँव*

जिला*

राज्य*

पिन*

आयएसओ ३१६६* देश कुट

06 यदि दिए गए पते के प्रमाण (ओवीडी) में वर्तमान पता नहीं है, तो कृपया निचे दिया गया कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें

☐ उपभोक्ता बिल

☐ पीपीओ / एफपीपीओ

☐ प्रापर्टी या म्यूनिसिपल टैक्स की रसीद

☐ नियोक्ता / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किया गया आवास आवंटन पत्र। इसी तरह आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्तों के लीव और लाइसेंस करार

दस्तावेज क्र.

तारीख:

मैं वचन देता/देती हूँ की मैं खाता खोलने की तारीख से तीन माह के अंदर वर्तमान पते सहित आधिकारीक तौर पर वैध दस्तावेज (OVD) जमा कर दूंगा / दूंगी अन्यथा बैंक खाते का परिचालन रोक सकता है।

07 घोषणा सह बचनबंध सह स्व प्रमाणन

मुझे दी गई खाता खोलने के नियम और शर्तों की प्रति मैंने पढ़ ली है। नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने / हमने इन्हें समझ लिया है, मैं / हम उन्हें स्वीकार करता / करती हूँ / करते हैं।

१. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पीएमएलए, २००२ के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए स्वेच्छा से पहचान और / या पते के प्रमाण के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।

२. मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई से सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को स्पष्टतया अधिकृत करता /करती हूँ कि वह बायोमेट्रिक अनुप्रमाणन के माध्यम से पहचान और पता बैंक को दे सकता है

हैं ☐ नहीं ☐

फोटो चिपकार्ड हाल ही में लिया गया फोटो स्टैपल न करें

आवेदक का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान कृपया काली स्याही से हस्ताक्षर करें

स्थान

दिनांक

08 कार्यालय के उपयोग /अनुप्रमाणन हेतु ☐ प्राप्त दस्तावेज ☐ स्व प्रमाणित ☐ सत्य प्रति ☐ नोटरी

क्या खाता खोलने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त स्व-प्रमाणन और दस्तावेज सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं। हाँ/नहीं

केवल प्रमाणीकरण होने पर शाखा खोलने के लिए तैयार होगी (हाँ)

प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के लिए निहितार्थ और शर्तें जमाकर्ता को समझाई गई हैं (निरक्षर आवेदक के मामले में अनिवार्य)

जमाकर्ता का प्रकार ☐ निरक्षर ☐ दृष्टि बाधित ☐ स्टाफ

जोखिम श्रेणी* ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ निम्न

एक या दो पहचान चिह्नों का विवरण, यदि कोई हो, जैसे कोई तिल या निशान (निरक्षर आवेदक के लिए अनिवार्य)

सत्यापन व्यक्तिगत रूप से किया गया और आवेदक का हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान सत्यापित किया गया

अधिकारी का नाम:

पीएफ क्रमांक

पदनाम

तिथि

एसएस नं.

हस्ताक्षर

नामांकन का विवरणपंजीकरण क्र.

बैंक जमा के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ जेडए और नियम १९८५ के तहत नामांकन।

मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करते हैं जिसे मेरी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में इस जमा राशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा वापस कर दी जाए (शाखा / कार्यालय का नाम और पता जिसमें जमा राशि रखी गई है)

☐ मैं / हम चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं कि नामित व्यक्ति का नाम पासबुक पर छपा हो

जमा का विवरण

जमा का प्रकारखाता क्रमांक

नामिती का विवरण

नाम

नामिती का मोबाइल नं.

जमाकर्ता के साथ संबंधआयु वर्ष नामिती की जन्म तिथि (अवयस्क होने की स्थिति में)

जैसा की इस तिथि को नामांकित व्यक्ती अवयस्क है, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आयु वर्ष

पता

को मेरी / नामिती की मृत्यु की स्थिती में अवयस्कता की अवयस्कता की अवधि के दौरान जमा राशी रु. को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ।

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)	(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)
प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर नामहस्ताक्षर पता	द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर नामहस्ताक्षर पता
साक्षी के तभी आवश्यक हैं यदि आवेदक निरक्षर है और उसने अंगूठे का निशान लगाया है ☐ मैं/हम इस खाते के लिए किसी को नामित नहीं करना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं	तिथि स्थान
(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)	(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे का निशान)

07

घोषणा सह वचन सह स्व प्रमाणन

१. मुझे/हमें खाता खोलने के लिए दी गई नियमों और शर्तों की प्रति मैंने/हमने पढ़ ली है। नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने/हमने उन्हें समझ लिया है और उसे मैं/हम स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
२. (अवयस्क के खाते के संबंध में)
मैं इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अवयस्क जिसकी जन्मतिथि है जो मेरा है और मैं उसका नैसर्गिक और विधिमान्य संरक्षक हूँ जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक द्वारा नियुक्त किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) मैं उपरोक्त खाते में किसी भी विवरण के संबंध में भविष्य के लेन देन में उक्त अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूंगा/करूंगी जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता है। मैं उपरोक्त अवयस्क के दावे के खिलाफ बैंक को उसके खाते में किसी भी आहरण /लेनदेन के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हूँ।
३. (सावधि जमा खातों के मामले लागू (अगर जरूरी नहीं तो काट दें))
मैं/हम यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि सावधि जमा दोनो में से एक या पूर्व वर्ती या उत्तरजीवी आवेदन सहजमा पर्ची के परिचालन अनुदेशों के मामले मे जमाकर्ताओं मृत्यु की स्थिती में उत्तरजीवी या पूर्व के मामले में मृतक जमा करता हूँ के कानुनी उत्तराधिकारीयों की सहमती के बिना आवेदन के साथ मृतक जमा करता हूँ के मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने समय से पहले समाप्ति /भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
४. मैं /हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा किसी अन्य बैंक / शाखा में बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) नहीं है (बीएसबीडी खाते के संबंध में लागू)

स्थान:

तिथि:

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

कार्यालय के उपयोग/अनुप्रमाणन के लिए

(केवल कार्यालय के उपयोग हेतु) खाता खोलें		क्यू नं.	संक्षिप्त हस्ताक्षर
तिथि		(अधिकृत हस्ताक्षरी)	
१) इंटरनेट बैंकिंग(आईएनबी)किट नं.			
२) इंटरनेट बैंकिंग देखने के अधिकार		लेनदेन के अधिकार दिए गए	
३) एटीएम कार्ड भेजने की तिथि :			
४) नामांकन क्रमांक :			
५) प्रारंभिक (केवाईसी) सीमा:			
६) फोन बैंकिंग :			

बचत खाता खोलने के लिए नियम एवं शर्तें

- मैं पुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बैंक तथा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं जिनमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं, किंतु केवल यही नहीं, से संबंधित नियम व विनियम पढ़ और समझ लिए हैं। मैं बैंक/विनियामक/सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सूचना पत्र/वेबसाइटों/समाचार-पत्र प्रकाशनों आदि के माध्यम से इनमें सूचित संशोधनों/परिशोधनों का अनुपालन करने के लिए करार करता/करती हूँ। इन संशोधनों/परिशोधनों के संबंध में मुझे व्यक्तिगत सूचना दिए जाने के अधिकारों, यदि कोई हों, का परित्याग करता/करती हूँ। मैं करार करता/करती हूँ कि मेरे यूजर आईडी एवं पासवर्ड/पिन/ओटीपी के तहत इंटरनेट, मोबाइल, टेलीबैंकिंग अथवा वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे खाते/तों में किए गए लेनदेन व अनुरोध मुझ पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे और मैं ऐसे मामलों में अधिप्रमाणन परिचय विवरणों तथा किसी अन्य जानकारी/विवरणों/ओटीपी/पिन, आदि की गुप्तता और गोपनीयता के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी। मैं करार करता/करती हूँ कि बैंक को सभी अधिकार हैं कि वह जो कोई सेवा प्रभार, खर्च या अन्य देयराशियाँ मुझसे वसूल करने का हकदार/उत्तरदायी है मेरे खाते के नाम (डेबिट) कर सके। मैं बैंक को प्राधिकृत भी करता/करती हूँ और सहमत हूँ कि मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरा खाता बंद/समाप्त किया जा सकता है। मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे पत्राचार के पते अथवा संगठन में कोई परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करूंगा/करूंगी।
- आधार ब्योरे के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड पीएमएलए, २००२ के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए पहचान करने और/अथवा पते के प्रमाण के तौर पर स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया है और मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई के साथ इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता/करती हूँ कि वह बैंक को बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के माध्यम से मेरी पहचान और मेरा पता जारी कर सकता है। मैं इस खाते को एनपीसीआई मैप के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिससे मैं इस खाते में भारत सरकार (जीओआई) से एलपीजी सब्सिडी सहित प्रत्यक्षलाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक बनेफिट ट्रांसफर मिलना होगा तो मुझे इस खाते में सभी बनेफिट ट्रांसफर मिलेंगे।
- मैं पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे बैंक में खाता खोलने और/अथवा खाता रखने या किसी अन्य रूप में बैंक के साथ लेनदेन करने से किन्हीं लागू कानूनी/नियामक/अनुबंधात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा रोका/निषिद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- मैं सहमति देता हूँ/देती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत केवाईसी ब्योरा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मैं बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण से मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से जानकारी प्राप्त करूंगा/करूंगी। मैं यह भी करार करता/करती हूँ कि ऐसा कोई एसएमएस/ई-मेल प्राप्त न होने पर होने वाली किसी हानि या क्षति, चाहे जो कोई भी हो, के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस मामले में मैंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचना क्र. एस.ओ. २१५५(ई) दिनांक ७ अगस्त २०१५ के तहत आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २८५बीए के अंतर्गत और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संदर्भ क्र. डीबीआर. एएमएल.बीसी.नं.३६/१४.०१.००१/२०१५-१६ दिनांक २८ अगस्त २०१५ के अंतर्गत लागू नियमों और बादे में इनमें हुए परिशोधनों/संशोधनों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है।
- मैं समझता/समझती हूँ, स्वीकार करता/करती हूँ और प्राधिकृत करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासीय स्थिति और/अथवा उसके तहत निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर बैंक को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) और/ अथवा ऐसी ही किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करने हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते(तों) का ब्योरा देना होगा।
- मैं प्रमाणित और घोषित करता/करती हूँ कि खाता खोलने और अन्य सेवाएं प्राप्त करने या वेबसाइट के माध्यम से /इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे मुझ पर लागू है/हैं खाता खोलने के लिए और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं/जिसे मैंने अधिप्रमाणित किया है या जिसके लिए मैंने दस्तावेजी साक्ष्य दिया है, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपायी नहीं है जिससे मेरे खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल अकाउंट अथवा अन्य रिपोर्टेबल खाते या अन्य किसी खाते के निर्धारण/श्रेणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।यदि यहां मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना एवं जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या तथ्य को छुपाई हुई पाई जाती है तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- मैं इस जिम्मेदारी की घोषणा करता हूँ कि किसी भी स्थिति में परिवर्तन या यहाँ उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर या कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी की तत्काल घोषणा और प्रकटीकरण करूंगा/करूंगी और ऐसे परिवर्तन के दिनांक से अधिक से अधिक ३० दिनों में इसकी जानकारी दूंगा/दूँगी। मैं यह भी वचन देता /देती हूँ कि जब भी मांग की जाएगी मैं नए और वैध स्व-प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी यह भी कि यहाँ की गई सभी घोषणाएं और दिए गए वचन भी यहां मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज/जानकारी में किए गए ऐसे सभी परिशोधन/संशोधन हेतु तब तक लागू होंगे जब तक कि बैंक को उपर्युक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते।
- मैं यह भी सहमत करता/करती हूँ कि मुझे इस समय या भविष्य में ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी के प्रकटीकरण में चूक या दस्तावेजों/सूचना/अन्य ब्योरे में किसी कमी को निर्धारित समय में दूर करने में मेरे द्वारा कोई चूक किए जाने पर मैं खाते में लेनदेन से अवैध हो जाऊँगा/जाऊँगी और बैंक अपने अधिकारों के तहत उक्त प्रयोजन से मेरे खाते के परिचालन प्रतिबंधित करने या इसे बंद करने या किसी नियामक को और/अथवा सरकार /भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित किसी प्राधिकरण इसकी सूचना दे सकेगा या सीबीडीटी/ भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक द्वारा उचित समझी गई कोई अन्य कार्यवाई कर सकेगा।
- मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि कोई अन्य विवरण बैंक को प्रस्तुत और सूचित करूंगा/करूंगी जो उपर्युक्त मामले में या किसी अन्य मामले में भारत में या विदेश में किसी कानून में कोई परिवर्तन होने के कारण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- मैं बैंक को उस प्रत्येक हानि/नुकसान की क्षतिपूर्ति करूंगा/करूंगी जो यहाँ प्रदत्त ब्योरे में कोई दोष/गलती के कारण या मेरे द्वारा गलत और अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को होगा।
- मैं वचन देता/देती हूँ कि बैंक की अपेक्षानुसार समय समय पर केवाईसी जानकारी को अद्यतन करने के लिए आवश्यक नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
- मैं समझता/समझती हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) पूरी करने के बाद ही यह खाता सक्रिय किया जाएगा और इसमें नाम की अनुमति दी जाएगी।

१४. यदि खाता पैर के बिना खोला जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को या उसके पहले पैर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी, ऐसा न करने पर धनशोधन निवारण (अभिलेख रखरखाव) नियमावली २००५ के अनुसार पैर प्रस्तुत करने तक खाते में परिचालन नहीं किया जा सकेगा।
१५. यदि खाता खोलते समय वर्तमान पते के लिए वैध समझा गया कोई दस्तावेज दिया जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं खाता खोलने के ३ मास में वर्तमान पते के प्रमाणस्वरूप, आधार कार्ड या वर्तमान पते वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करूँगा/करूँगी, ऐसा न करने पर मैं जानता हूँ/ जानती हूँ कि भारत सरकार के अनुदेशानुसार उस समय तक मेरा खाता परिचालित नहीं रहेगा।
१६. मुझे स्वागत किट प्राप्त हो गई है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग किट और एटीएम/चेक बुक शामिल है और मैं समझता/समझती हूँ कि किट के सामग्री के किसी दुरुपयोग/गलत जगह पर रख दिए जाने के कारण बैंक किसी हानि/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
१७. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बचत बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल गैर-व्यावसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन के लिए किया जाएगा। यदि ऐसा कोई लेनदेन किया जाता है या ऐसा कोई लेनदेन वाणिज्यिक/व्यावसायिक/संदेहजनक या अवांछनीय पाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार है कि उस खाते में एकतरफा परिचालन रोक दे और/अथवा उस खाते को बंद कर दे।
१८. मुझे खोले जाने वाले खाते के मासिक औसत शेष (एमएबी) की अपेक्षा के बारे में बताया गया है और मैंने इसे समझ लिया है कि इन अपेक्षाओं में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है और ये संशोधन/परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस आशय की सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
१९. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं (बीएसबीडी खाते के लिए आवेदन हेतु लागू) मुझे स्पष्ट कर दी गई हैं।
२०. मैं पावती देता/देती हूँ कि बचत बैंक खाता नियम और विनियम मुझे प्राप्त हो गए हैं।
२१. मुझे बताया गया है कि यदि मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दूँगा तो मैं एटीएम नकदी आहरण को छोड़कर अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सुविधा का पात्र नहीं होऊँगा/होऊँगी।
२२. **(समाज कल्याण लाभों के लिए खोले गए खातों हेतु लागू)**
- मैं समझता/समझती हूँ कि यह खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैं बीएसबीडी खाता जारी नहीं रखना चाहूँगा/चाहूँगी और सामान्य बचत बैंक रखना चाहूँगा/चाहूँगी तो मुझे सामान्य बचत बैंक खाते के लिए आवश्यक मासिक औसत शेष (एमएबी) रखना होगा। इसलिए मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं बीएसबीडी खाते को सामान्य बचत बैंक खाते में परिवर्तित करना चाहूँगा/चाहूँगी तो मुझे खाते में एमबी अवश्य बनाए रखना होगा।
२३. **(अवयस्कों के नाम में खोले गए खातों के लिए लागू)**
- मैं समझता/समझती हूँ कि आवेदक के वयस्क होते ही मासिक औसत शेष (एमएबी) की अपेक्षा और इस अपेक्षा को पूरा न किए जाने पर इस खाते में दंड लगाया जाएगा। इसलिए मैं वयस्क होने की तारीख से औसत मासिक शेष (एमबी) रखने का वचन देता हूँ।
२४. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं वचन देता / देती हूँ कि इनमें कोई परिवर्तन होने पर तत्काल आपको सूचित करूँगा / करूँगी और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इनमें से कोई विवरण झूठे या असत्य या भ्रामक या तात्त्विक तथ्य को दबाने वाले पाए गए तो मैं इसके लिए उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।
२५. मैं / हम पुष्टि करता हूँ/ करते हैं कि खाते की उत्पाद विशेषताएं मुझे बताई गई हैं।
२६. मैं बचत खाते के नियम व विनियम प्राप्ति कि पावती देता हूँ।

अविदतो के हस्ताक्षर / अविदतो के अंगुठे के चिन्ह / आविदतो के हस्ताक्षर / आविदतो के अंगुठे के चिन्ह

बचत बैंक नियम (संक्षेप में)

अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश

खाता खोलने की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति, निर्धारित नियमों का पालन करने का करार करके, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्ते वह बैंक द्वारा अपेक्षित पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करे।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा

नामांकन सुविधा बचत बैंक खातों में उपलब्ध है और खातेदारों को सूचित किया जाता है कि अकल्पित परिस्थितियों में कानूनी वारिसों द्वारा दावे के शांतिपूर्ण निपटानके लिए इस सुविधा का उपयोग किया जाए। नामांकन केवल एक नामिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते तो खाता खोलने के फॉर्म में यह तथ्य दर्ज किया जा सकता है जिस पर उन्हें अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे। उत्तरजीविता लाभ वाले संयुक्त खाते का परिचालन उन परिस्थितियों में उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकता है।

खातों के प्रकार, शेष संबंधी शर्त और सेवा प्रभार

आवेदक चेकबुक सुविधा या बिना चेकबुक सुविधा के खाता खोल सकते हैं। बचत बैंक खातों के लिए निर्धारित वर्तमान मासिक औसत शेष तथा न्यूनतम शेष न रखने पर निर्धारित प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेंटर पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बचत बैंक खाते में अधिकतम शेष के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं रखी गई है सिवाय अवयस्कों के खातों के।

अवयस्कों के खाते

अवयस्क जो एकसमान हस्ताक्षर रख सकते हैं और जिनकी आयु १० वर्ष से कम नहीं है अपने एकल नाम में खाते खोल सकते हैं और उनमें ₹५०,००,००/- (रुपये पचास हजार मात्र) की अधिकतम शेष राशि जमा रख सकते हैं। अवयस्क अपने संरक्षकों के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं।

कैसे खाता खोलें?

सामान्यतया, आवेदक (कों) को खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्वयं उपस्थित होना अपेक्षित। वे निर्धारित आवेदन पत्र विधिवत स्वयं भरेंगे। आवेदक (कों) को केवाईसी दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक/सीबीडीटी को जैसे लागू है तदनुसार घोषणा करनी होगी और हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के अपने दो फोटो प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। खातेदारों के हस्ताक्षर ठीक से किए हुए और पठनीय होने चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में या ब्लॉक लैटर्स में नहीं

होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एख अलग खाता क्रमांक दिया जाएगा। बैंक के साथ लेनदेन करते समय खातेदार (रॉ) को अपना खाता क्रमांक अवश्य उद्धृत करना चाहिए। खातेदारों के अपने हित में है कि वे बैंक में दर्ज कराए गए नमूना हस्ताक्षरों के अनुसार खाता परिचालित करते समय और बैंक के साथ कोई पत्राचार आदि करते समय वही हस्ताक्षर करें।

पासबुक

खातेदार को दी गई पासबुक और चेकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खातेदारों की लापरवाही के कारण कोई हानि या गलत भुगतान होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण फॉर्म द्वारा नकदी निकालते समय पास बुक अवश्य प्रस्तुत की जाए। चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके आहरण बिना पास बुक भी किया जा सकता है। राशि जमा करते समय पास बुक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पास बुक नियमित रूप से अद्यतन कराई जाए। लेनदेन पूरा होने के तुरंत बाद पास बुक विधिवत अद्यतन करके खातेदार को लौटा दी जाएगी। यदि यह एक सप्ताह के भीतर वापस प्राप्त नहीं की जाती है तो यह रजिस्टर्ड ए.डी. डाक/कूरियर द्वारा लौटा दी जाएगी, जिसका खर्च खातेदार को वहन करना होगा। खातेदार पास बुकों में की गई प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर लें और यदि कोई भूल या चूक दो तो इसे बैंक के ध्यान में लाएँ। गुम हुई या कटी-फटी पास बुक के बदले ड्रफ्ट/चेक पास बुक खातेदार के लिखित अनुरोध पर आवश्यक पूछताछ करने, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित प्रभार वसूल करने के बाद जारी की जाएगी। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक

बैंक पहली चेक बुक खाता खोलने के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी करेगा। बैंक चेक बुक लागू प्रभार वसूल करने के बाद ही जारी करेगा। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातेदार बैंक द्वारा उन्हें जारी चेक बुकों का ही उपयोग करें। बैंक को यह अधिकार है कि वह अन्य किसी प्रकार से जारी किन्हीं चेकों का भुगतान करने से इनकार कर दे। सामान्यतया, बैंक एक बार में एक से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा या पिछली बार जारी चेक बुक के सभी पन्ने समाप्त होने के पहले या सभी चेक पन्ने लगभग समाप्त होने पर जारी करेगा। चेक ऐसे लिखे जाने चाहिए कि इन्हें ठीक से पढ़ा जा सके। जारी या गुम हुए चेकों के संबंध में भुगतान रोकने के अनुरोध निर्धारित सेवा प्रभार भुगतान करके बैंक में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य

बचत बैंक खात मुलतः बचत राशी को जमा करने की एक सुविधा है। उसका उपयोग चालू खाते के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बैंक के पास यदि यह मानने का कोई कारण होगा कि खातेदार ने अनुमत प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खाते का उपयोग किया है तो बैंक उस खाते को बंद कर देगा।

जमाराशियां

गैर-गृह शाखा में नकदी जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत जो खातेदार के नाम में काटे गए होंगे खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खातेदार के पक्ष में पृष्ठांकित अन्य पक्ष लिखत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वीकृत लिखतों पर कोई आहरण तब तक सामान्यतया स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनकी उगाही नहीं की गई होगी। संतोषजनक ढंग से संचालित खातों में बाहरी/स्थानीय लिखतों की राशि समय समय पर निर्धारित मूल्य तक तत्काल जमा कर दी जाएगी। सामान्य कलेक्शन और ऑउट ऑफ पॉकेट प्रभार वसूल किए जाएंगे। वर्तमान सीमा और इसके लिए निर्धारित प्रभार बैंक वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अतिदेय ब्याज बिना भुगतान वापस आए लिखतों पर वसूल किया जाएगा।

आहरण (खाते से पैसा निकालना)

खातेदार बैंक के मानक आहरण फॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से स्वयं पैसा निकाल सकता है। पासबुक आहरण फॉर्म के साथ अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। आहरण फॉर्म खातेदार द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का भी एटीएम से पैसा निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सभी आहरण केवल पूर्ण रुपये में होने चाहिए। अन्य पक्ष भुगतान आहरण फॉर्म से करने की अनुमति नहीं है। यदि खातेदार स्वयं पैसा निकालने के लिए आने में असमर्थ हो तो किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक प्राधिकार-पत्र निर्धारित फॉर्मेट में पास बुक के साथ खाते से नकद पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक को भेजा जाना चाहिए। किसी खाते से अधिकतम कितनी निःशुल्क डेबिट प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खाते में कितना औसत मासिक शेष है या बैंक भी यह राशि समय समय पर निर्धारित कर सकता है। इस सीमा से अधिक प्रभार (चार्ज) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं।

ओवरड्राफ्ट

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट केवल पूर्व व्यवस्थाओं से असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत किया जाएगा। खाते में शेष से अधिक राशि के चेक बिना भुगतान वापस कर दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त शेष न होने पर बिना भुगतान वापस आने वाले एक चेक के लिए हर बार सेवा प्रभार वसूल किए जाएंगे। निर्धारित प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

अपरिचालित खाते

खातेदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते नियमित रूप से परिचालित करें। अपरिचालित खातों को पिछले खाता परिचालन के २४ महीनों के निर्धारित समय में अपरिचालित के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया जाएगा। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्ज) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी

पावती डीए -१

हम निम्नलिखित के पक्ष में आपके द्वारा नामांकन किए जाने की पावती देते हैं:		दिनांक										
नामिती का नाम :	आयु:	वर्ष:										
आपके खाता क्रमांक		के संबंध में										
पंजीकरण क्र.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											सील सहित बैंक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अनुदेश

खातेदार बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह समय समय पर बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि का भुगतान सेवा प्रभार वसूल कर उसके खाते का नामे करके करे। स्थायी अनुदेशों के संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्ज) बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार समय समय पर लागू ब्याज दरों के अनुसार। ब्याज की गणना दैनिक गुणनफल आधार पर की जाएगी। ब्याज तिमाही अंतरालों पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा यदि उसकी राशि ₹ १ या अधिक होगी। उसके बाद ५० पैसे और अधिक को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और अन्यथा उसे अनदेखा किया जाएगा। यदि प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा खाते में परिचालन पर रोक लगा दी जाती है तो भी बैंक खाते में नियमित रूप से ब्याज जमा करना जारी रहेगा।

अंतरण (ट्रांसफर) और खाता बंद करना

खातेदार (रॉ) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच पैसे अंतरण (ट्रांसफर) किए जा सकते हैं। खाता बंद करने के अनुरोध में खाता बंद करने के कारण का उल्लेख किया जाए। ऐसे अनुरोध के साथ पास बुक प्रस्तुत की जाए। संयुक्त खाते उनके सभी संयुक्त हस्ताक्षरियों के अनुरोध पर ही बंद किए जा सकते हैं। सेवा प्रभार निर्धारित दर पर वसूल किए जाएंगे यदि खाता खोले जाने के १४ दिनों से एक वर्ष तक अवधि में बंद कर दिया जाता है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाते ऑनलाइन भी अंतरण (ट्रांसफर) किए जा सकते हैं।

नियमों में परिवर्तन

बैंक को यह अधिकार है कि वह इन नियमों एवं सेवा प्रभारों में परिवर्तन, समापन और परिवर्धन कर सकता है जिसकी जानकारी ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा सूचना पट्ट के माध्यम से दी जाएगी।

बीएसबीडी खाते की विशेषताएँ

१. नकदी जमा बैंक शाखा के साथ साथ एटीएम/सीडीएम मशीनों में की जा सकती है।
२. किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों के चेकों द्वारा जमा की गई/उगाही गई राशि की रसीद/जमा दी जाएगी।
३. महीने में राशि असीमित बार और असीमित मूल्य के लिए जमा की जा सकती है।
४. न्यूनतम ४ आहरण एटीएम आहरण सहित
५. एटीएम कार्ड या एटीएम सह डेबिट कार्ड